बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Supplementary Press Release

दिनांक :– 01.10.2015

1. दिनांक 27.09.2015 को वैशाली जिला के 128–राघोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तेरसिया में श्री लालू प्रसाद, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दिये गये चुनावी भाषण के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्रांक 437/BR-LA/2015 दिनांक 01.10.2015 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त नोटिस में यह उद्धृत किया गया है कि श्री लालू प्रसाद का उक्त भाषण आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए एवं 505(2) के तहत् भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध/अपराध की श्रेणी में आता है। आयोग ने श्री प्रसाद को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 अक्टूबर, 2015 के 03:00 बजे अपराह्न तक का समय दिया है।

2. दिनांक 28.09.2015 को जगजीवन स्टेडियम, भभुआ, कैमूर में श्री सुशील कुमार मोदी, स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये चुनावी भाषण के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्रांक 437/BR-LA/2015 दिनांक 01.10.2015 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त नोटिस में यह उद्धृत किया गया है कि श्री मोदी का उक्त भाषण आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 171बी एवं 171ई के तहत रिश्वत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 121(1) के तहत् भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। आयोग ने श्री मोदी को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 6 अक्टूबर, 2015 के 03:00 बजे अपराह्न तक का समय दिया है।

****